

प्रेषक,

सचिव,
प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

सेवा में,

संयुक्त सचिव,
प्राविधिक शिक्षा, अनुभाग-3,
उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

पत्रांक:-प्राशिप/परिषद/2025/2955

लखनऊ:दिनांक- 11/08/2025

विषय:-प्राविधिक शिक्षा विभाग के डिप्लोमा सेक्टर में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग, अधिनियम, 2004 की धारा-10 के अंतर्गत संस्थाओं को अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या- 38/52-3-2015-रिट (30)/2014 दिनांक 05 जनवरी 2015 द्वारा प्राविधिक शैक्षणिक संस्थाओं को अल्पसंख्यक संस्था की अनापत्ति प्रमाण पत्र की स्वीकृति हेतु प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0, शासन को सक्षम अधिकारी नियुक्त किया गया है।

उक्त के क्रम में प्राविधिक शिक्षा विभाग में डिप्लोमा स्तरीय प्राविधिक शैक्षणिक संस्थाओं को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियम, 2004 की धारा-10 के अंतर्गत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 से सम्बद्ध संस्थाओं को अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने की प्रक्रिया का निर्धारण किया जाना है। संस्थाओं को अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने की प्रक्रिया निम्नानुसार प्रस्तावित है:-

- (1) प्राविधिक शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन डिप्लोमा स्तरीय शिक्षण संस्थाओं को अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु समस्त कार्यवाही ऑनलाइन की जाएगी। भौतिक रूप से न तो आवेदन प्राप्त किया जायेगा और न ही किसी संस्था को अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जायेंगे।
- (2) अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा यू-राईज पोर्टल पर आगामी शैक्षणिक सत्र के लिए वर्ष 01 जनवरी से 31 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे।
- (3) आवेदक संस्था द्वारा निर्धारित प्रारूप पर सुसंगत सूचनाओं/अभिलेखों सहित अपना आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा। आवेदक संस्था/पंजीकृत ट्रस्ट/सोसाइटी के पास आवेदन के समय निम्न अभिलेख होने चाहिए, जिन्हें यू-राईज पोर्टल पर अपलोड करना होगा:-
 - (i) आवेदक संस्था के ट्रस्ट/सोसाइटी का पंजीकरण प्रमाण पत्र (Registration Certificate)
 - (ii) सोसाइटी का MoA/ट्रस्ट डीड एवं सोसाइटी का संशोधित MoA/ट्रस्ट डीड यदि कोई हो। Memorandum of Association (MoA) of Society/Trust Deed and amended MoA/Trust Deed if any
 - (iii) संस्थापक सदस्यों/न्यासियों एवं वर्तमान सदस्यों/न्यासियों की सूची List of Founding Members/Trustees and Present Members/Trustees

- (iv) संस्थान किस अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित है? रू0 100/- के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र के साथ सूचना।
- (v) संस्था को संचालित करने वाली समिति का बायलॉज।
- (vi) संस्थान की वर्तमान प्रबंध समिति के रजिस्ट्रार, फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स, उत्तर प्रदेश द्वारा सत्यापित/अनुमोदित सूची।
- (vii) प्रबंध समिति के सदस्यों के संबंध में अल्पसंख्यक होने का शपथ पत्र (प्रारूप-1)।
- (viii) अल्पसंख्यक कल्याण अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या 440/52-4-2003-1(3)/96 दिनांक 29 मार्च 2003 के क्रम में जैन समुदाय से संबंधित अल्पसंख्यक संस्थाओं के प्रबंध समिति के सदस्यों के उ0प्र0 का मूल निवास होने का प्रमाण पत्र।
- (ix) नियामक संस्था (AICTE/PCI/COA) आदि का अनुमोदन/अनुमोदन विस्तार (नवीनतम) पत्र।
- (x) परिषद का सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार (नवीनतम) पत्र।

3. प्राविधिक शिक्षा परिषद स्तर पर स्कूटनी समिति द्वारा यू-राईज पोर्टल पर प्राप्त आवेदनपत्रों में उल्लिखित सूचनाओं एवं संलग्न अभिलेखों की प्रत्येक वर्ष 10 फरवरी तक स्कूटनी की जायेगी। अस्वीकार किये गये आवेदनों को उस शैक्षिक सत्र में आवेदन का अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा।

स्कूटनी समिति के निम्नलिखित सदस्य होंगे-

1. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश- अध्यक्ष
2. विशेष सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ, उ0प्र0 शासन/- सदस्य
निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग, उ0प्र0*
3. सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0, लखनऊ- सदस्य
4. सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0, लखनऊ-सदस्य सचिव

*विशेष परिस्थितियों में अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग, उ0प्र0 द्वारा कम-से-कम संयुक्त निदेशक स्तर का अधिकारी नामित किया जायेगा।

4. स्कूटनी समिति द्वारा स्वीकार किये गये आवेदनों को प्रत्येक वर्ष 15 फरवरी तक परिषद द्वारा शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
5. परिषद द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर शासन द्वारा निर्णय लिया जायेगा।
6. शासन द्वारा एन0ओ0सी0 निर्गत किये जाने संबंधी निर्णय के संबंध में परिषद द्वारा यू-राईज पोर्टल के माध्यम से संबंधित संस्थाओं को प्रत्येक वर्ष दिनांक 20 मार्च तक ऑनलाइन सूचित किया जायेगा।

प्राविधिक शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन डिप्लोमा स्तरीय शिक्षण संस्थाओं को अल्पसंख्यक संस्था के रूप में ट्रीट किये जाने की कार्यवाही हेतु निर्धारित समय-सीमा :-

क्रमांक	कार्य विवरण	निर्धारित समयावधि
1.	आगामी शैक्षिक सत्र हेतु यू-राईज पोर्टल पर एन0ओ0सी0 हेतु ऑनलाइन आवेदन की तिथि	01 जनवरी से 30 जनवरी तक

2.	परिषद द्वारा स्वीकार किये गये आवेदन पत्रों के संबंध में शासन को प्रस्ताव उपलब्ध कराने की तिथि	15 फरवरी
3.	शासन के निर्णय के संबंध में आवेदक संस्थाओं को यू-राईज पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन सूचित करने की तिथि	20 मार्च

कृपया डिप्लोमा स्तरीय शिक्षण संस्थाओं को अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने संबंधी उक्त प्रस्तावित प्रक्रिया एवं समय-सारिणी संबंधी शासनादेश निर्गत कराने की कृपा करें

संलग्नक:—उपरोक्तानुसार।

भवदीय,



(अजीत कुमार मिश्र)
सचिव

प्रपत्र-1

(रु0 100/- के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित)

शपथ पत्र

1. मैं/हम शपथपूर्वक कथन करता हूँ/करते हैं कि
.....(समिति का नाम), नामक समिति
जो कि(समिति का पता) पर स्थापित एवं
संचालित है के हम सभी/मैं प्रबंधकारणी सदस्य हैं/हूँ।
2. उपरोक्त समिति का पंजीयन क्रमांक.....दिनांक.....तथा कार्य
क्षेत्र.....है।
3. उपरोक्त वर्णित समिति द्वारा.....(शैक्षणिक संस्था का नाम)
नामक शैक्षणिक संस्थान जो कि
.....(शैक्षणिक संस्था का पूर्ण पता) पर स्थापित एवं संचालित है।
समिति द्वारा प्रबंधित एवं संचालित की जा रही है।
4. मैं/हम सभी सदस्य.....
अल्पसंख्यक समुदाय के अनुयायी हैं।

क्रमांक	नाम	पिता का नाम	वर्तमान पता	अल्पसंख्यक समुदाय का नाम
1				

शपथग्रहिता/शपथग्रहिताओं के हस्ताक्षर

घोषणा

मैं/हम शपथपूर्वक कथन करते हैं कि उपरोक्त बिन्दु क्रमांक 1 से 4 तक दी गयी जानकारी
हमारी/मेरी जानकारी अनुसार सही एवं सत्य है।

शपथग्रहिता/शपथग्रहिताओं के हस्ताक्षर